न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 169 दर्ज तिथिः–06.03.2024

1. भाखरराम पुत्र उदाराम
   जाति विश्नोई निवासी बोरली तहसील गुड़ामालानी–बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. मूलाराम पुत्र कलाराम जाति सोनी
2. चैनाराम पुत्र रणछाराम
3. शंकरलाल पुत्र रणछाराम
4. सवाराम पुत्र रणछाराम
5. चमूदेवी पत्नी रणछाराम
   जाति नाई निवासी बोरली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.................असल अप्रार्थीगण

6. शाखा प्रबंधक एस बी आई शाखा गुड़ामालानी
7. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..............तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीगणः–श्री मोहनलाल विश्नोई
श्री जगदीश कड़वासरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–10.02.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 985 / 18.2270 है0 मौजा बोरली पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर खसरा संख्या 894 / 2 / 1.9830 है0 एवं 895 / 2 / 1.1007 है0 मौजा बोरली से होते प्रार्थीगण के खेत तक विद्यमान रास्ता मौके पर चालू है। उक्त विद्यमान रास्ते में खसरा संख्या 894 / 2 / 1.9830 है0 एवं 895 / 2 / 1.1007 है0 मौजा बोरली में प्रार्थीगण के आने हेतु रिकॉर्डेड [illegible] अप्रार्थीगण वक्त काश्त उक्त खसरों में काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण को अपने जोत तक आने–जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:30 IST
Reason: SelfAttested

बाधित हो जाते हैं। अतः खसरा संख्या 894/2/1.9830 है0 एवं 895/2/1.1007 है0 मौजा बोरली में से होकर करीब 30 फीट चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 04 गठ्ठा चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 द्वारा सीधे बहस का निवेदन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी हाजा न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/522 दिनांक 30.03.2024 से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./251ए/2024/2105 दिनांक 26.09.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई।

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकाररान की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक प्रार्थना–पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए निवेदन किया कि वर्तमान में प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य रास्ते से आवागमन करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी से कभी भी आवागमन नहीं किया गया है। परंतु उक्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित विकल्प केवल अप्रार्थीगण की आराजी से ही बताया होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल–ए–खारिज है।

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.*** *- (1) Where -*
>
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
>
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*
>
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:30 IST
Reason: SelfAttested

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant ***preferably*** *having the same price and adjoining to his land.*

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:30 IST
Reason: SelfAttested

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251—क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद—रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है—

1. *प्रार्थी की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या—3 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./251ए/2024/2105 दिनांक 26.09.2024 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./251ए/2024/2105 दिनांक 26.09.2024 के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्य 985/18.2270 है0 मौजा बोरली तक पहुंचने हेतु रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 894/2/1.9830 है0 एवं 895/2/1.1007 है0 मौजा बोरली में प्रार्थीगण के आने हेतु रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रिकॉर्डेड रास्ते की अनुपस्थिति रिकॉर्ड एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./251ए/2024/2105 दिनांक 26.09.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:30 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 251ए / 2024 / 2105 दिनांक 26.09.2024 अनुसार रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात तृतीय शर्त बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **लघुत्तम मार्ग** रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

6. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी 985 / 18.2270 है0 मौजा बोरली में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 894 / 2 / 1.9830 है0 एवं 895 / 2 / 1.1007 है0 मौजा बोरली में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 894 / 2 / 1.9830 है0 एवं 895 / 2 / 1.1007 है0 मौजा बोरली में से होकर 04 गठ्ठा चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 251ए / 2024 / 2105 दिनांक 26.09.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 894 / 2 / 1.9830 है0 एवं 895 / 2 / 1.1007 है0 मौजा बोरली से होकर 03 मीटर चौड़ाई में लघुत्तम मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 251ए / 2024 / 2105 दिनांक 26.09.2024 के अवलोकन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आवेदित तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 251ए / 2024 / 2105 दिनांक 26.09.2024 में अंकित रास्ता का मार्ग ही लघुत्तम मार्ग प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा आवेदित एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 251ए / 2024 / 2105 दिनांक 26.09.2024 में अंकित रास्ता का मार्ग नहर के किनारे मौके पर चालू डामर सड़क से जुड़ाव रखता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 251ए / 2024 / 2105 दिनांक 26.09.2024 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 251ए / 2024 / 2105 दिनांक 26.09.2024 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 251ए / 2024 / 2105 दिनांक 26.09.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 03 मीटर चौड़ाई में गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का [illegible] स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:30 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./251ए/2024/2105 दिनांक 26.09.2024 द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेश दिये जाते है कि पत्रांक/भू.अ./251ए/2024/2105 दिनांक 26.09.2024 द्वारा प्रेषित मौका जॉच रिपोर्ट में आराजी हाल खसरा संख्या 894/2/1.9830 है0 एवं 895/2/1.1007 है0 मौजा बोरली में अंकित प्रस्ताव में इंगित लाल रंग से प्रदर्शित लम्बाई एवं 03 मीटर चौड़ा रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान पश्चात् नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित पत्रांक/भू.अ./251ए/2024/2105 दिनांक 26.09.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

सत्यमेव जयते

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:30 IST
Reason: SelfAttested